बिहार सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

मुख्यमंत्री निजी पौधशाला (पॉप्लर प्रजाति) के पौधों के लिए योजना

''पॉप्लर पौधशाला स्थापित कर आमदनी बढ़ाएँ प्रदेश में हरियाली लाएँ''

योजना का उद्देश्य :–

- कृषि वानिकी में पॉप्लर वृक्षारोपण के लिए आवश्यकता के अनुरूप पौधा तैयार करना।
- ग्रामीणों को रोजगार के अतिरिक्त अवसर उपलब्ध कराना।
- राज्य के किसानों का आर्थिक सुदृढ़ीकरण।

योजना में दिए जाने वाले लाभ :–

- इस योजना में शामिल होने वाले उद्यमी/कृषकों/लाभुकों को पर्यावरण एवं वन विभाग के स्थानीय कार्यालय से पॉप्लर की कटिंग निःशुल्क उपलब्ध कराये जायेंगे।
- लाभुकों को 10,000/– (दस हजार) कटिंग प्रति एकड़ के हिसाब से उपलब्ध कराये जायेंगे।

पात्रता :–

- आवेदक की अपने नाम से या लीज पर (कम–से–कम तीन वर्ष तक के लिए) जमीन होनी चाहिए।
- जमीन समतल, उँची जल–जमाव मुक्त होनी चाहिए।
- पूंजी के रूप में बैंक खाता में रूपया 20,000/– (बीस हजार रूपये प्रति एकड़) होने चाहिए।
- जमीन पर सिंचाई की सुविधा होनी चाहिए।
- आवंटन के लिए प्रति व्यक्ति जमीन की सीमा आधा एकड़ से तीन एकड़ तक रखी गयी है।

आवेदन कहाँ करें :–

- इच्छुक किसान जिस जिले में पॉप्लर पौधशाला स्थापित करना चाहते हैं, उसी जिले के स्थानीय वन क्षेत्र कार्यालय में अथवा वनों के क्षेत्र पदाधिकारी अथवा संबंधित जिले के वन प्रमण्डल पदाधिकारी के कार्यालय में आवेदन करें **या** hariyalimission@gmail.com पर ई–मेल करें।
- आवेदन में पौधशाला में उगाये जाने वाले पौधों का रोपण स्थल संबंधित पूर्ण जानकारी भी उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है।

आवेदन पत्र के साथ संलग्न करने वाले कागजात :–

(1) भू–स्वामित्व प्रमाण–पत्र।
(2) अद्यतन लगान रसीद।
(3) लीज डीड की छायाप्रति।
(4) पूंजी के रूप में न्यूनतम 20,000/– रू0 प्रति एकड़ राशि बैंक में जमा होने के प्रमाण स्वरूप बैंक पासबुक की अद्यतन छायाप्रति।

विस्तृत जानकारी वन प्रमण्डल पदाधिकारी कार्यालय से या विभाग की वेबसाईट *www.forest.bih.nic* से प्राप्त किया जा सकता है। ईमेल से जानकारी प्राप्त करने के लिए *hariyalimission@gmail.com* पर मेल करें ।

आवेदन प्रपत्र

1. वन प्रमंडल का नाम :– .... 2. जिला का नाम :– ....

3. वन प्रक्षेत्र इकाई का नाम :– .... 4. प्रखंड का नाम :– ....

5. आवेदक का नाम :– ....

6. पिता/पति का नाम :– ....

7. पेशा :– ....

8. जन्म तिथि :– ....

9. स्थायी पता :– ....

....

10. वर्त्तमान पत्राचार का पता :– ....
(दूरभाष/मोबाईल नं0) ....

11. ई–मेल (यदि हो) :– ....

12. पौधशाला स्थल की विवरणी :–

क्र.सं.	खाता नं0	खेसरा	रकवा	रसीद सं0/वर्ष

13. पौधशाला हेतु उपलब्ध सिंचाई सुविधा :– (सुविधा के विवरणी एवं आवेदित प्लॉट से दूरी अंकित करें)
14. पौधशाला की प्रस्तावित सुरक्षा व्यवस्था :–
15. प्रशिक्षित हैं/प्रशिक्षण की आवश्यकता है (कृपया ✓ करें)
16. पौधशाला संचालन का अनुभव (प्रमाण–पत्र संलग्न करें)।

1. पौधशाला में उगाये जाने वाले पौधों का रोपण स्थल संबंधित जानकारी
2. बैंक में पूंजी की स्थिति (प्रमाण के रूप में पासबुक की छायाप्रति संलग्न करें)।
3. बैंक खाता विवरणी :–

बैंक खाता नं0	बैंक का नाम एवं शाखा	IFSC कोड

17. घोषणा

मैं एतद् घोषणा करता /करती हूँ कि उपर्युक्त सूचनाएं मेरी जानकारी में सही है। पौधशाला आवंटित होने पर मैं पूरी मेहनत एवं लगन से पौधाशाला स्थापित कर इनमें उच्च गुणवत्ता वाले पॉपलर के पौधे तैयार करूँगा/करूँगी एवं मिशन/वन विभाग के सभी नियमों/निर्देशों का अनुपालन करूँगा/करूँगी। कालांतर में उक्त सूचना गलत साबित होने पर मेरे पौधशाला आवंटन को रद्द किया जा सकता है तथा राशि की वसूली के लिए कार्रवाई की जा सकती है।

संलग्न अभिलेख की विवरणी :–

1.

2.

3.

आवेदक का हस्ताक्षर एवं पूरा नाम
तिथि के साथ